स्पीडपोस्ट/बजट आवंटन वर्ष 2008–09

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 134 /कार्य0/पेयजल/2008–09 दिनांकः 12,मई, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–970/38–5–2008–27बजट/2007, दिनांक 15–4–2008 एवं शासनादेश–1100/38–5–08–27बजट/07 दिनांक 5–5–2008(छायाप्रति संलग्न), का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा वर्ष 2008–09 में ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि रू0 50,00,00,000/– (रू0 पचास करोड़ मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखे जाने एवं कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त धनराशि में से ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्यों हेतु मात्राकृत 85 प्रतिशत धनराशि रू0 42,50,00,000/–(रू0 बयालिस करोड़ पचास लाख मात्र) संलग्नक–1 में दर्शायें गये विवरण के अनुसार आपको आवंटित की जाती है।

1– जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आवंटित धनराशि का आहरण एवं व्यय शासनादेश सख्या–1100/38–5–08–27बजट/07 दिनांक 5–5–2008, में अंकित प्रतिबन्धों एवं योजनान्तर्गत भारत सरकार तथा उ0प्र0शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों तथां दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये करें और आहरित धनराशि की सूचना कोषागार बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2– नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन असेवित/अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित एवं सुरक्षित स्रोत विहीन क्षेत्रों (एन0 सी0/पी0सी0/एन0एस0एस0) में किया जायेगा।

3– उक्त आवंटन का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक –2215–जलपूर्ति तथा सफाई–आयोजनागत–01–जलपूर्ति–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यकम–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ–01–त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यकम (ए0आर0डब्लू0 एस0पी0) (के. 50/रा.50–रा.)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

4– उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियंत्रण रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ट संख्या–137 पर कर ली गई है।

संलग्नकः–उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,
Manoj 10-5-08
(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः /कार्य0/पेयजल/2008–09 दिनांकः उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा–1 व 2) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, जल निगम, लखनऊ।
7– प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8– नियोजन अनुभाग–3/ग्राम्य विकास अनुभाग–3 ।
9– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनु0–2 ।
10– सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–5, उ0प्र0शासन, के पत्र संख्या–1100/38–5–08–27बजट/07 दिनांक 5–5–2008के संदर्भ में।

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या– /कार्य0/पेयजल/2008–09 लखनऊः दिनांकः ,मई, 2008

का संलग्नकः–

धनराशि लाख रूपये में।

क्रम संख्या	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि
1	सहारनपुर	26.32
2	मुजफ्फर नगर	216.68
3	बिजनौर	29.09
4	मुरादाबाद	33.41
5	रामपुर	24.70
6	ज्योतिबाफूले नगर	15.48
7	मेरठ	14.81
8	बागपत	10.76
9	गाजियाबाद	18.74
10	गौतमबुद्व नगर	12.90
11	बुलन्दशहर	22.54
12	अलीगढ	21.62
13	महामायानगर(हाथरस)	16.01
14	मथुरा	28.87
15	आगरा	47.66
16	फिरोजाबाद	23.93
17	एटा	25.69
18	मैनपुर	12.31
19	बदायूँ	24.06
20	बरेली	29.71
21	पीलीभीत	16.11
22	शाहजहाँपुर	16.97
23	खीरी	18.89
24	सीतापुर	307.96
25	हरदोई	184.16
26	उन्नाव	170.83
27	लखनऊ	9.04
28	रायबरेली	25.11
29	फरूखाबाद	11.20
30	कन्नौज	14.12
31	इटावा	14.19
32	औरैया	7.52
33	कानपुर देहात	20.54
34	कानपुर नगर	181.91
35	जालौन	17.76

36	झाँसी	11.74
37	ललितपुर	17.39
38	हमीरपुर	22.67
39	महोबा	11.92
40	बाँदा	17.93
41	चित्रकूट	15.42
42	फतेहपुर	191.07
43	प्रतापगढ़	34.45
44	कौशाम्बी	9.15
45	इलाहाबाद	47.81
46	बाराबंकी	167.60
47	फैजाबाद	175.58
48	अम्बेडकर नगर	17.73
49	सुल्तानपुर	207.86
50	बहराइच	20.26
51	श्रावस्ती	13.14
52	बलरामपुर	15.28
53	गोण्डा	26.92
54	सिद्धार्थ नगर	183.49
55	बस्ती	183.40
56	संत कबीर नगर	161.34
57	महाराजगंज	24.43
58	गोरखपुर	22.79
59	कुशीनगर	28.69
60	देवरिया	25.47
61	आजमगढ़	218.80
62	मऊ	15.06
63	बलिया	32.30
64	जौनपुर	37.08
65	गाजीपुर	30.14
66	चन्दौली	168.42
67	वाराणसी	47.59
68	संतरविदास नगर	12.45
69	मिर्जापुर	204.30
70	सोनभद्र	158.73
	योगः–	4250.00

(रू0 बयालिस करोड़ पचास लाख मात्र)

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

2